



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से छेड़खानी व मारपीट करने वाले अभियुक्त को **05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं० 293/2016 धारा 354ए,323 भा०द०सं० व 10 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभि० अजय उर्फ मोटा पुत्र बरदानी वर्मा** निवासी पडोरी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को **05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक निरी० श्री
सत्यविजय सिंह



पैरोकार थाना मौदहा
का० श्री शुभम यादव